प्रश्न सं. [क्र. 1376]

परिशिष्ट - "अ"

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 267/22/वि–2/स्था./2021 भोपाल, दिनांक 10/01/2022

प्रति,

1– आयुक्त,
पंचायतराज संचालनालय/डीआरडीए प्रशासन

2– मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण।

3– आयुक्त,
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद (मनरेगा)

4– मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम)

5– संचालक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण,

6– राज्य कार्यक्रम अधिकारी
मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम(एमडीएम),रूरर्बन मिशन

7– राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एसबीएम)

8– संचालक,
वाटरशेड मिशन (कृषि सिंचाई योजना)

9– संचालक,
सामाजिक अंकेक्षण।

10– प्रमुख अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म.प्र.भोपाल।

11– संचालक,
एसआईआरडी/वाल्मी/संजयगांधी युवा नेतृत्व प्रशिक्षण संस्थान

12– वित्तीय सलाहकार,
विकास आयुक्त कार्यालय,

13– अति.संचालक/संयुक्त आयुक्त (स्था.)
विकास आयुक्त कार्यालय,

विषयः– पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/संगठनों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पारिश्रमिक/मानदेय संबंधी।

—00—

पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/संगठनों में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये वित्त विभाग द्वारा दिये गये अभिमत एवं म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. सी–5–2/2018/1/3 दिनांक 5 जून 2018 के अनुसार वर्तमान में उन्हें देय मानदेय/पारिश्रमिक में वार्षिक वेतनवृद्धि निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :–

क्र.	अवधि	वार्षिक वेतनवृद्धि
1	दिनांक 01.01.2020 से	6.75 प्रतिशत
2	दिनांक 01.01.2021 से	5.54 प्रतिशत

2/ वित्त विभाग के परिपत्र क्र. 1879/1072/2021/नियम/चार/भोपाल दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के पालन में दिनांक 1.1.2020 से देय वृद्धि का एकमुश्त भुगतान तथा दिनांक 1.1.2021 में देय वृद्धि का भुगतान आगामी माह में 50 प्रतिशत (प्रथम किश्त) एवं मार्च 2022 में 50 प्रतिशत (द्वितीय किश्त) एरियर राशि देय होगी।

3/ प्रत्येक योजना/कार्यक्रम/संगठन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने हेतु वित्तीय उपलब्धता का परीक्षण अनिवार्य रूप से करने के उपरांत ही मानदेय/पारिश्रमिक में वृद्धि की जावे।

4/ उपरोक्तानुसार वृद्धि हेतु प्रभारी अधिकारी अपने योजना/कार्यक्रमों/संगठनों के अंतर्गत नस्ती पर संगठन के अध्यक्ष (Chairperson) से अनुमोदन लेकर मानदेय वृद्धि के आदेश जारी कर सकेंगे। कार्योत्तर स्वीकृति अनिवार्य रूप से स्टेयरिंग कमेटी की आगामी बैठक में ली जाए ।

5/ यह आदेश ग्राम रोजगार सहायकों पर लागू नही होगा।

10/1/2022
(शोभा निकुंभ)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक 268 /22/वि–2/स्था./2021 भोपाल, दिनांक 10/01/2022

प्रतिलिपिः–

निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।

1– प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2– प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल ।
3– विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
4– अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
5– वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, विकास आयुक्त कार्यालय/ग्रा.यां.सेवा, भोपाल।
6– आहरण एवं संवितरण अधिकारी, विकास आयुक्त कार्यालय/ग्रा.यां.सेवा भोपाल।

10/1/2022
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग